RCNS
2019/00147

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

जगमालसिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

प्रकरण अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट अपील संख्या 19 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
28.06.2019	वकील अपीलांट्स द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध पेश की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की स्थगन प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने स्थगन प्रा.पत्र पर अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि का कब्जा अपीलांट से लिया जा रहा है जबकि मौजूदा फसल काश्त है कानूनन खडी फसल में कब्जा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 84 आर.टी.एक्ट के तहत भी यह समय कब्जा लेने का नहीं है। यदि फसल के दौरान कब्जा लिया गया तो अपीलांट्स को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश की पालना अपील के निर्णय तक स्थगित की जावे। वकील अपीलांट्स स्थगन प्रा.पत्र पर की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिषक अपीलांट्स स्थगन प्रा.पत्र पर की गई बहस में यह साबित करने में असमर्थ रहें है कि अपीलांट का कब्जा किस आधार पर है एवं प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु को भी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाये हैं। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करता है कि चक 69 आर.बी. में जैमलसिंह को 23.07.63 को अस्थाई आवंटन को पुख्ता आवंटन किया गया। तत्पश्चात वह स्वयं 8 जुलाई 1969 को उक्त भूमि विक्रय कर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दी। यही नहीं इसके पश्चात भी पुनः उक्त भूमि 1972 में अपीलांट के पूर्वज दतारकौर को बेच दी गई। रिपोर्ट व निर्णय से स्पष्ट है कि उक्त रकबा बार–बार बिना सक्षम अनुमति के बिना खातेदारी प्राप्त किये ही गैर खातेदारी भूमि का बेचान किया, जो विधिसम्मत नही है।

अधी. न्यायालय के विस्तृत निर्णय दिनांक 31.05.2019 में उपर्युक्त कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए राज.उपनिवेशन अधि. 1954 की धारा 13 का विवेचन किया गया है जिसके तहत उक्त बेचान बिना सक्षम अनुमति के किये जाने को अवैध माना है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा ऐसे अन्तरणों को नियमित करने सम्बन्धी जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार को सुझाव व तत्सम्बन्ध में वांछित संशोधन आदेश जारी करने का पत्र दिनांक 25.08.2014 प्रार्थी/अपीलांट को इस अपील में किसी प्रकार की राहत प्रदान करने योग्य नहीं है। क्योंकि 5 वर्ष पश्चात भी ऐसा कोई निर्देश/प्रावधान में संशोधन वर्तमान में नहीं है।

फलस्वरूप इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नहीं होती। अतः अपील एडमिशन स्तर पर ही निरस्त किया जाना उचित है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)